

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 103] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1982/चैत्र 10, 1904
No. 103] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1982/CHAITRA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1982

सं. 121/82 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 283(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 27 फरवरी, 1982 की अधिसूचना सं. 21-ऐ/82-को.उ.शु. को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना को प्रथम अनुसूची की मद सं. 1 की उपमद (1) के

अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिए चार सौ अस्सी रुपये प्रति क्विंटल टैरिफ मूल्य नियत करती है :—

परन्तु इस अधिसूचना की कोई भी बात, ऐसी चीनी को लागू नहीं होगी, जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन, किए जाने की अपेक्षा करती है ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1982 से प्रवृत्त होगी ।

[121/82-के.उ.शु./फा.सं. 7/1/82-के.उ.शु.-1]

आर देव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1982

No. 121/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 263(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 21-A/82-Central Excises, dated the 27th February, 1982, the Central Government hereby fixes a tariff value of four hundred and eighty rupees per quintal of sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty ad-valorem :

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1982.

[No. 121/82-CE/F. No. 7/1/82 CX. I]

R. DEB, Under Secy.